महिलाओं की वैधानिक स्थितिः चुनौतियां एवं समस्याऐं

डॉ. दर्शी चतुर्वेदी
व्याख्याता, राजनीति विज्ञान , अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, गंगापुरसिटी

साराश

भारतीय महिलायें विश्व मानव सभ्यता की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। स्पष्टता वे दुनिया की आधी हकीकत है। मानव होने के नाते उन्हे मानवाधिकार मिलना अपरिहार्य है पर पूरी दुनिया की सबसे बडी सामाजिक विसंगति यह है कि उन्हे ***दोयम दर्जे का नागरिक*** *समझा जाता है उसे अधिकार प्रयोग करने योग्य नही माना जाता है। मानव शब्द सिर्फ पुरूष के लिये प्रयोग किया जाता रहा है। इसी कारण विश्व के बहुत से राष्ट्रों में महिलाओं को वैधानिक अधिकार बहुत लम्बे संर्घष के पश्चात् प्राप्त हुये। भारत में चिरकाल से चले आ रहे इस भेदभाव को मिटाने के लिये ही हमारे समाज सुधारकों के अथक प्रयत्नों के साथ-साथ महिलाएं भी अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु सचेत हुयी। फलस्वरूप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्तर पर पुरूषों के समान समस्त अधिकारों स्वतन्त्रता की प्राप्ति हेतु कई नारीवादी आन्दोलन हुये व समस्त नारी जाति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनने का प्रयास किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति आन्दोलन के दौरान मिले जुले प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही भारतीय संविधान में अधिकारों-स्वतन्त्रताओं के लिये कानून बनाये गये व महिलाओं को संविधान में बिना किसी भेदभाव के पुरूषों के समान दर्जा दिया गया एंव अधिकारों के उपयोग हेतु कई वैधानिक व्यवस्थायें समय-समय पर की गई।*

मूल शब्द

१. संविधान
२. महिलाऐं
३. अधिकार
४. अनुच्छेद
५. समानता
६. स्वतन्त्रता

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ. दर्शी चतुर्वेदी,

महिलाओं की वैधानिक स्थितिः चुनौतियां एवं समस्याऐं,

शोध मंथन, दिस0 2017, पेज सं0 26.30, Artcile No. 5(SM 465)

http://anubooks.com/?page_id=581

१५ अगस्त १९४७ को भारत को आजादी मिली, इस आजादी की लडाई में भारतीय महिलाओं ने पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य किया था, यहॉ तक कि वे जेल भी गई थी। आजाद भारत का संविधान बनाने के लिये संविधान सभा का गठन किया गया था। इस सभा का मुख्य काम एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत के सभी लोग स्त्री-पुरूष, अमीर-गरीब, शिक्षित-अशिक्षित को समान सुरक्षा प्रदान कर सके। इस संविधान सभा में अन्य महिलाओं के साथ जब महिलाओं के अधिकारों का प्रश्न उठाया गया तब महिलाओं ने महिलाओं के लिये किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोध किया। उनका कहना था कि यदि महिलाओं में योग्यता है तो वह पुरूषों के साथ प्रतियोगिता कर आगे बढ सकती है।

भारतीय महिलायें विश्व मानव सभ्यता की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। स्पष्टता वे दुनिया की आधी हकीकत है। मानव होने के नाते उन्हे मानवाधिकार मिलना अपरिहार्य है पर पूरी दुनिया की सबसे बडी सामाजिक विसंगति यह है कि उन्हे दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है उसे अधिकार प्रयोग करने योग्य नही माना जाता है। मानव शब्द सिर्फ पुरूष के लिये प्रयोग किया जाता रहा है। इसी कारण विश्व के बहुत से राष्ट्रों में महिलाओं को वैधानिक अधिकार बहुत लम्बे संर्घष के पश्चात प्राप्त हुये। भारत में चिरकाल से चले आ रहे इस भेदभाव को मिटाने के लिये ही हमारे समाज सुधारकों के अथक प्रयत्नों के साथ-साथ महिलाएं भी अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु सचेत हुयी। फलस्वरूप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्तर पर पुरूषों के समान समस्त अधिकारों स्वतन्त्रता की प्राप्ति हेतु कई नारीवादी आन्दोलन हुये व समस्त नारी जाति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनने का प्रयास किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति आन्दोलन के दौरान मिले जुले प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही भारतीय संविधान में अधिकारों-स्वतन्त्रताओं के लिये कानून बनाये गये व महिलाओं को संविधान में बिना किसी भेदभाव के पुरूषों के समान दर्जा दिया गया एंव अधिकारों के उपयोग हेतु कई वैधानिक व्यवस्थायें समय-समय पर की गई।

संविधान के लागू होने के बाद **१९५२ में प्रथम आम चुनाव** हुआ। इस चुनाव में भारत के २१ वर्ष से ऊपर के समस्त स्त्री-पुरूषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में समानता प्राप्त हुयी है। स्वतन्त्रता के पूर्व तक सभी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नही था। लेकिन आज प्रत्येक भारतीय महिला को जो १८ वर्ष की आयु की ह ैमत देने का अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान न केवल महिलाओं को समानता का मूल अधिकार प्रदान करता है वरन् उनके लिये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अलाभकारी स्थितियों का उन्मूलन करने का उपाय करने के लिये राज्यों को निर्देशित भी करता है। कांग्रेस दल के द्वारा जब नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब इस सरकार ने महिलाओं द्वारा स्वाधीनता संग्राम में दिये गये योगदान की खूब सराहना की और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। **संविधान के भाग तृतीय, जो कि मूल अधिकारों से सम्बधित है के अनुच्छेद १४, १५, १६ और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में भी महिलाओं को विशेष स्थिति** प्रदान की गई है। **भाग ४ (अ) जो कि मूल कतर्व्यो के** बारे में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो । **संविधान के अनुच्छेद १४ के** द्वारा कानून के सामने समानता और कानून द्वारा समानता की घोषणा की गई है। **अनुच्देद १५** के द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया हैं । **अनुच्छेद १६ के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति** से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी। इसके अन्तर्गत राज्य को पिछडे वर्गो के

नागरिकों को नियुक्त या पदों पर आरक्षण के लिये उपलब्ध करने से रोकेगी। अतः **अनुच्छेद १४, १५, १६** एक दूसरे के पूरक है और संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। **अनुच्छेद २१ विधायिका एंव कार्यपालिका दोनों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान** करता है। यह अधिकार स्त्री और पुरूष दोनों को समान संरक्षण प्रदान करता है। **अनुच्छेद २१ में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली डोमेस्टिक वर्किगं विमेन्स फोरम बनाया। यूनियन आफॅ इण्डिया १९९५ के बाद में महिलाओं के साथ बढते हुये अपराधों के मामलों में शीघ्र परीक्षण** तथा उन्हे प्रतिकार प्रदान करने एंव उनके पुर्नवास के लिये विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त निहित किया है जो कि महिलाओं को उनके समान अधिकारों की पूर्ति हेतु वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। **अनुच्छेद २३-२४ में शोषण के विरूद्ध अधिकार मानव दुर्व्यवहार एंव बलात श्रम का प्रतिरोध** करता है। यह सर्वविदित है कि भारतीय समाज में नारी क्रय-विक्रय तथा बेगार सदियों से चले आ रहे है। इस क्रय-विक्रय को खत्म करने के लिये हमारी **संसद ने १९५६ में एक अधिनियम पारित** किया जिसका संशोधन कर व इसका नाम बदल कर अनैतिक व्यापार निवारक अधि ानियम १९५६ कर दिया गया है जिसके द्वारा न केवल व्याभिचार बल्कि महिला के साथ होने वाले किसी भी शोषण के विरूद्ध आवाज उठाई जा सकती है। इस तरह के अगर कोई व्यक्ति महिलाओं सम्बन्धित अनैतिक कार्यो द्वारा पैसा कमाता है, वैश्यालय चलाता है या होटल का प्रयोग इस हेतु करता है या अवयस्क बच्चों को अनैतिक व्यापार की ओर ढकेलता है तो होटल का लाईसेन्स हमेसा के लिये रद्द हो सकता है। ऐसे दोषी व्यक्ति को अर्थदण्य के साथ कम से कम ७ साल व अधिक से अधिक १४ साल की सजा हो सकती है। संविधान के अधीन मूल अधिकारों सम्बन्धी कोई भी **विचार विमर्श अनुच्छेद ३२ के संदर्भ के बिना अधूरा** है।जो संवैधानिक उपचारों के अधि ाकरों से सम्बन्धित है। **अनुच्छेद ३२ नागरिकों के लिये संविधान के भाग ३ द्वारा प्रदत्त** अधिकरों को प्रवर्तित कराने के लिये उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचलित करने के अधिकार की गारन्टी देता है।

राज्य के **नीति निर्देशक तत्वों द्वारा महिलाओं के** लिये कुछ सुविधायें देने का सरकार को निर्देश दिया गया हैं **अनुच्छेद ३९ ब में सरकार को स्त्री एंव पुरूष को समान कार्य के लिये समान वेतन** देने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद ३९ क के अनुसार सरकार स्त्री-पुरूष के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे, यह कहा गया है। **अनुच्छेद ४२ द्वारा महिलाओं से काम के स्थान पर अमानवीय व्यवहार पर प्रतिबन्ध** लगाया गया, साथ ही प्रसूति अवस्था के काल में उन्हे कुछ विशेष सुविधा प्रदान की गई। अनुच्छेद ४४ के द्वारा सरकार ने सभी समान रूप से नागरिक कानून लगाये है।

१९७१ में पुणे में सम्पन्न हुये मुस्लिम सम्मेलन में मुस्लिम महिलाओ ने भी समान नागरिक संहिताओं की आवश्यकता को स्वर दिया। हिंसा व शोषण की शिकार सभी महिलाओं द्वारा एक सामान्य बात को महसूस किया गया कि वे हिंसक परिवेश में जीने के लिये इसीलिये विवश थी कि क्योंकि वे आर्थिक आधार पर पुरूषों पर निर्भर थी, परिवार में उनकी स्थिति दोयम दर्जे की थी। अतः महिलाओं ने अनुभव किया कि सम्पत्ति के अधिकारों, उत्तराधिकार और मायके की सम्पत्ति पर अधिकारों के अभाव ने महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर कर दी है और यह उत्पीडन और अधिकार हीनता सारे समुदाय में समान रूप से व्यक्त थी। अतः महिलाओं द्वारा कानूनों में सुधार की मांग उठाई गई जो सभी महिलाओं को लाभ पहुचायेगा। **अनुच्छेद ५१ क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा** कि वह हमारी संस्कृति की गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। इसी तरह **संविध ाान के भाग XV में अनुच्छेद ३२५ के अनुसार संसद या राज्य की विधान सभा के लिये प्रत्येक**

चुनाव क्षेत्र में चुनाव के लिये एक सामान्य भूमिका होगी जिसमें कोई भी व्यक्ति सम्मिलित होने के लिये अयोग्य नही होगा। योजना आयोग ने महिलाओं के विकास के लिये तीन मुद्दे निर्धारित किये थे। **पंचवर्षीय योजनाऐ भी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अधिकारों को ध्यान** में रखकर बनाई गई है। महिलाओं में विश्वास और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने व रोजगार की सर्वोच्च अरौर आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

भारतीय संविधान एंव सरकार द्वारा समय-समय पर कानून और योजनाऐ बनाकर यद्यपि महिलाओं को समानता न्याय एंव अधिकार प्रदान किये परन्तु इन्हे व्यवहारिक रूप प्रदान करने में अधिक दष्ढता नही बरते जाने से महलाओं को महिला होने के नाते कई समस्याओं का सामना करना पडता है। महिला की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है आर्थिक पराबलम्बन या आर्थिक निर्भरता। महिला चाहे शिक्षित हो, अमीर हो, कामकाजी हो उसे वह आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नही होती जिसे वह चाहती है। भूमंडलीकरण से उत्पन्न संभावनाओं के साथ नयी चुनौतियां भी बडी है। भूमंडलीकरण जितना स्त्री के हक में गया उससे कही अधिक हानिकारक साबित हुआ है। आज महिलाऐं अलग-अलग क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। अनेक महिलाऐं संगठित उद्योग धन्धों में कार्यरत है। खानों कारखानों में काम करने वाले सभी मजदूर चाहे वह पुरूष हो या स्त्री उनके लिये समय - समय पर कानून बनाये जाते है लेकिन इन कानूनों के बारे में उतनी चेतना जाग्रत नही हुयी जितनी की इसकी जरूरत है। इनमें महिला मजदूरों की स्थिति और भी बदतर है क्योंकि वे गरीब वर्ग की है, शोषित है तथा अपने अधिकरों के बारे में अज्ञानी है। सस्ते श्रम के संसाधन के तौर पर बडी संख्या में स्त्रियां नियुक्त की जाती है। नारीवादी श्रम के सन्दर्भ में सैद्धान्तिक स्पष्टता और नारीवादी दषष्टिकोण की अलग से जरूरत इसलिये है क्योंकि जबतक श्रमजीवी महिलाऐं इसे हासिल नही कर लेती तब तक शोषण का विरोध महज व्यक्तिगत प्रलाप माना जायेगा। नारीवादी सोच और चिन्तन को न केवल स्थानीय बल्कि भूमंडलीय स्तर पर संवाद स्थापित करना चाहिये। भारत जैसे विकासशील देशों की स्त्रियों को न केवल अपने पितष सत्तात्मक सामाजिक अवरोधों का सामना करना पड रहा है, बल्कि वे पश्चिम के प्रौद्योगिकीय वर्चस्व का दबाव भी झेल रही है। आज भी हमारा समाज बेटे के जन्म पर खुशी मनाता है और बेटी के जन्म पर रोता है। दहेज की व्यवस्था बनी हुयी है। भ्रूण हत्या, बालिका-शिशु की उपेक्षा आम बात है। स्त्री के लिये केवल आर्थिक स्वतन्त्रता पर्याप्त नही है केवल आर्थिक परिवर्तन के सन्दर्भ में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। भूमंडलीकरण के बढते हुये प्रभाव के कारण सरकार के पास न पहले जैसे अधिकार है और न पहले वाली आभा। आज तो केन्द्र भी महज एक विचौलिये की भूमिका में सीमित होता लग रहा है। स्थानीय होड के इस दौर में क्या स्त्री समाज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो पायेगा ? स्त्री को अपनी मदद आप करनी होगी। स्त्री के प्रति सरकार का सरोकार कमजोर पडता जा रहा है। एक ऐसे आन्दोलनकारी दषष्टिकोण की जरूरत है जो सबको समेटता हुआ, सबका प्रतिनिधित्व करता हुआ आगे बढे। चूंकि भूमंडलीय बाजार की एक प्रमुख उपभोक्ता स्त्री भी है, हालांकि भूमंडलीय प्रचार तन्त्र प्रोपेगंडा के जरिये स्त्री आन्दोलन को कमजोर एंव अधिकारहीन करने में लगा हुआ है। स्त्री को राजनीतिक प्रक्रियाओं में रूचि लेनी सीखनी होगी ताकि स्त्री समुदाय को आगे बढा सके। बडे पैमाने पर राजनीतिक सहभागिता करनी होगी। अमानवीय विकास के प्रतिमानों को खारिज करना और जनोन्मुख नजरिये को विकसित करना नारीवाद का पहला उद्देश्य होना चाहिये।

२१वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने हेतु अभी भी हमें यह लडाई तब तक जारी रखनी है जब तक कि स्त्रियों को पूरी तरह से हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा ओर सम्मानजनक स्थान उपलब्ध नही हो जाता

है। तभी हम विश्व के समक्ष भी अपना सिर गौरव से ऊँचा रख पाने में समर्थ हो पायेगें। वर्ष **२००१ को महिला सशक्तिकरण वर्ष** के रूप में मनाने के फलस्वरूप स्त्रियों को उनके विधि सम्मत अधिकारों को प्रदत्त कराने तथा हाल ही में घोषित **राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति २००१** को भी भलीभांति तभी क्रियान्वित किया जा सकता है जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में उठाये जा रहे कदमों को अधिक सजगता व प्रतिबद्धता के साथ संचालित किया जा सकेगा।

सन्दर्भ सूची :-

१. डॉ. प्रभा आप्टे, भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिशिंग हाउस जयपुर, १९९६, पृ. ६१ ।

२. नीरा देसाई, भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इंडिया लि. नई दिल्ली, १९८२, पृ. १६१ ।

३. चेतन सिंह, महिला एंव कानून, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, १९९३, पृ. ६ ।

४. श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव, भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कॉमन वेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, १९९७, पृ. २६-२७ ।

५. आशा कौशिक, मानवाधिकार और राज्य, उभरते आयाम, पोईन्टर पब्लिशर्स जयपुर, २००४, पृ.१९४ ।

६. चाणक्या, सिविल सर्विसेज टुडे-अतिरिक्तांक २००५,पष्. ५० ।

७. आशा कौशिक, मानवाधिकार और राज्य बदलते सन्दर्भ, उभरते आयाम,पष्. १९६ ।

८. योजना, जनवरी २००५, पष्. ६२-६३ ।

९. प्रभा खेतान, उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की दस वाताऐं राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, २००३, पृ. २४-३५ ।

१०. भालचन्द्र गोस्वामी प्रखर, भारत का संविधान और उसमें संशोधन, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, १९९८, पृ. ९५-१०३ ।

११. डॉ. बसन्तीलाल वावेल, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद, २००३, पृ. ६५-८० ।

१२. डॉ. जय जय राम उपाध्याय भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद, २००३, पृ. ७२-७८